"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016—श्रावण 14, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्रमांक ई-1-1-2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, छ.ग. का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक ई–1–1–2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ–साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री अंकित आनंद द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री एन. बैजेंद्र कुमार, भा.प्र.से. (1985) अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्य मंत्री, प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 1–4/2015/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 02–07–2016 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित विद्युत शुल्क परीक्षक को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक (राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड रुपये 9300–34800/– + ग्रेड वेतन रुपये 4400/– में पदोन्नत किया जाता है तथा अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उन्हें स्तम्भ क्रमांक–4 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक (1)	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री आर. के. ध्रुव, विद्युत शुल्क परीक्षक	कार्यालय–कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग–रायगढ़ (छ.ग.).	कार्यालय–कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग–रायगढ़ (छ.ग.).
2.	श्री एस. के. सिन्हा, विद्युत शुल्क परीक्षक	कार्यालय–अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, नया रायपुर (छ.ग.).	कार्यालय–अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, नया रायपुर (छ.ग.).
3.	श्री राधेश्याम ढीमर, विद्युत शुल्क परीक्षक	कार्यालय–कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग–बिलासपुर (छ.ग.).	कार्यालय–कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग–रायपुर (छ.ग.).

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2016–17 की कंडिका क्रमांक (4) 4.6 में निहित प्रावधान अनुसार भारसाधक मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-03-05/2004/25-2, पार्ट फाईल.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 अध्याय-2 की कंडिका-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री जी. आर. राना, निवासी ग्राम कोचवाही, तहसील गुरूर जिला बालोद (छत्तीसगढ़) को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पद पर मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्रमांक/5306/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	खुटरापारा	0.280	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर.	केनापारा - खुटरापारा मार्ग पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुण्ठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सालर प.ह.नं. 51	9.028	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यप. योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	घोराघाटी प.ह.नं. 17	1.371	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यप. योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 8 फरवरी 2016

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	सामरी (कुसमी)	बसकेपी प.ह.नं. 01	4.242	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 02, रामानुजगंज.	खुटपाली व्यपवर्तन योजना के ग्राम बसकेपी मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सामरी (कुसमी) मुख्यालय के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 8 फरवरी 2016

क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	सामरी (कुसमी)	बसकेपी प.ह.नं. 01	4.007	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 02, रामानुजगंज.	खुटपाली व्यपवर्तन योजना के ग्राम बसकेपी मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सामरी (कुसमी) मुख्यालय के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 5/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	चुक्तीपानी प.ह.नं. 2	2.536	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही जि. बिलासपुर (छ.ग.)	बाड़ीखार जलाशय की नहर एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 8/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लिटियासरई प.ह.नं. 9	3.419	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही जि. बिलासपुर (छ.ग.).	लिटियासरई जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	पथरापाली प.ह.नं. 01	4.855	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लिम्हा जलाशय डूबान क्षेत्र योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	डंगनिया प.ह.नं. 15	1.630	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	खैरा डंगनिया एनीकट पहुंच मार्ग एवं शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	मटियारी प.ह.नं. 11	0.164	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	खजुरी एनीकट निर्माण एवं पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला प.ह.नं. 08	0.343	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामअवतार जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2016

क्रमांक 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-जिल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	531/4	0.053
	531/3	0.032
	531/2	0.085
	576/7	0.134
	635	0.065
	639	0.113
	638	0.089
	534/1	0.065
	586	0.166
	532/1	0.150
	534/2	0.198
	532/2	0.073
	633	0.178
	533	0.312
	640/2	0.024
	576/6	0.065
	575/1	0.275
	522/1	0.105
	523	0.154
	531/6	0.073
	584/1	0.166
	662/4	0.304
	629/1	0.158
	511	0.024
	658	0.223
	636/2	0.040
	632	0.239
	584/2	0.073
	521	0.049
	522/2	0.008
	576/4	0.109
	585	0.036
	630	0.166
	657	0.032
योग	34	4.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 2/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.847 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74/2	0.020

(1)	(2)
76/2	0.020
78/2	0.028
71/1	0.049
76/3	0.040
112	0.105
42/7	0.040
42/9	0.040
110/2	0.040
42/8	0.077
56/2	0.049
56/3	0.045
58/4	0.174
99/4	0.024
140/2	0.162
110/3	0.170
110/1	0.186
134	0.166
15/3	0.045
47	0.040
59/1	0.073
99/1	0.028
99/2	0.045
110/4	0.040
12/13	0.081
137/1	0.032
111	0.393
69/1	0.020
70/2	0.040
15/1	0.040
12/4	0.085
15/9	0.049
137/2	0.081
96	0.040
97	0.040
109	0.227
46/1	0.024
141/1	0.093
76/1	0.020
78/1	0.040
77	0.040
57	0.020
141/2	0.093
9	0.020
42/1	0.081
40/1	0.138
42/3	0.069
74/3	0.036
76/4	0.028
94	0.032
135	0.117
140/1	0.081
140/3	0.081
योग 51	3.847

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोढ़ा जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-कोलबिर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.476 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
181/2	0.243
122/6	0.234
योग 2	0.476

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवरसोन व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-सिलपहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.321 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1108/4	0.085
	1111/1	0.069
	1147/2	0.121
	1152/3	0.113
	1108/1	0.332
	1146	0.061
	1103	0.134
	1108/2	0.061
	1157/1	0.263
	1158	0.057
	1159/1	0.085
	980/1	0.049
	1157/4	0.049
	1157/3	0.308
	1157/2	0.129
	1101/2	0.040
	1108/6	0.263
	1152/4	0.053
	1119	0.049
योग	19	2.321

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुरूदेव नाला जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मुरकुटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	170/4	0.39
योग		0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटिया स्टापडेम निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/वर्ष 14-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	257/2	0.12
योग		0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटिया स्टापडेम निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	313/1	0.10
	313/2	0.11
योग		0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटिया स्टापडेम निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 02 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-बलौदी, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.607 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	619/10	0.072
	619/13	0.032
	619/12	0.065
	619/14	0.130
	619/15	0.004
	619/16	0.081
	620/2	0.223
योग	7	0.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजीव समोदा-निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 03 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी, प.ह.नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.997 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11/2	0.062
	11/3	0.050
	13/3	0.027
	13/5	0.130
	13/6	0.012
	14/2	0.240
	34	0.160
	35/1	0.235
	36	0.081
योग	9	0.997

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजीव समोदा-निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष, बायलर अटेंडेंट्स परीक्षक मंडल

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं.-1, तेलीबांधा, पो.आ.-रविग्राम, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्रमांक मुनिवा/बा.अ./A-13/रिजल्ट/2704/2016.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी बायलर परिचर (अटेंडेंट्स) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु रायपुर में दिनांक 27 मई 2016 से 28 मई 2016 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

सरल क्र.	अनु. क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	3	499	श्री मनोहर लाल कश्यप	श्री देवनारायण कश्यप
2.	7	500	श्री ओम प्रकाश साहू	श्री भोला राम साहू
3.	9	501	श्री घनश्याम प्रसाद अगस्ती	श्री राजाराम अगस्ती
4.	11	502	श्री बंशी लाल जोशी	श्री अमर चंद जोशी
5.	12	503	श्री अजय कुमार पाण्डेय	श्री विष्णु दत्त पाण्डेय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	13	504	श्री रामेश्वर प्रसाद पटेल	श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल
7.	17	505	श्री शिव प्रसाद खुंटे	श्री कार्तिक राम खुंटे
8.	24	506	श्री रोहित कुमार	श्री गरीब राम
9.	25	507	श्री भुनेश्वर प्रसाद	श्री मनहरण
10.	26	508	श्री कोमल प्रसाद साहू	श्री करमू राम साहू
11.	27	509	श्री राम खिलावन साहू	स्व. श्री चिनिलाल साहू
12.	30	510	श्री राम नगीना यादव	श्री रामाश्रय यादव
13.	32	511	श्री शैलेश कुमार	श्री हरिहर पंडित
14.	36	512	श्री सोहन लाल राठौर	श्री रामधन राठौर
15.	38	513	श्री राजू सिदार	श्री मोहन लाल सिदार
16.	39	514	श्री कमलेश कुमार भारद्वाज	श्री रामाधार भारद्वाज
17.	40	515	श्री देव नारायण धीवर	श्री लखन लाल धीवर
18.	43	516	श्री मुरली मनोहर महंत	श्री अधोरी दास महंत
19.	46	517	श्री मर्दगाजी राणा	श्री दयानिधी राणा
20.	50	518	श्री सम्मेलाल राठौर	श्री गोपी राम राठौर
21.	52	519	श्री सुनील कुमार मिश्रा	श्री पंचराम मिश्रा
22.	53	520	श्री अजय कुमार चौधरी	श्री उसित राम चौधरी
23.	54	521	श्री अनुप कुमार सिन्हा	श्री केदार सिंह
24.	56	522	श्री त्रिलोकनाथ सिंह	श्री सत्यनारायण सिंह
25.	57	523	श्री परसु दास मानिकपुरी	श्री उमेंद दास मानिकपुरी
26.	60	524	श्री मनोज कुमार महाजन	श्री मानिक राव महाजन
27.	62	525	श्री प्रफुल्ल पटेल	श्री धर्नुय पटेल
28.	64	526	श्री रमेश कुमार पटेल	श्री राधेश्याम पटेल
29.	65	527	श्री कृष्ण कुमार केंवट	श्री करूं राम केंवट
30.	67	528	श्री गोपाल पटेल	श्री रूप सिंह पटेल
31.	68	529	श्री संदीप कुमार सिंह	श्री विरेन्द्र सिंह
32.	69	530	श्री नोहर लाल साहू	श्री लम्बोदर प्रसाद साहू
33.	71	531	श्री सुनील कुमार साहू	श्री नवरतन लाल साहू
34.	75	532	श्री राम कुमार निर्मलकर	श्री रामेश्वर प्रसाद निर्मलकर
35.	74	533	श्री दादू राम	श्री दऊवा राम
36.	80	534	श्री राजेन्द्र कुमार अनंत	स्व. श्री नर्मदा प्रसाद अनंत
37.	85	535	श्री कालीचरण बेहरा	श्री बिटा बेहरा
38.	87	536	श्री रमेश चंद्र पाण्डेय	श्री डिकर देव पाण्डेय
39.	88	537	श्री सुधीर कुमार यादव	श्री बालमुकुन्द यादव
40.	89	538	श्री राजदेव पाण्डेय	श्री राम सुरजान पाण्डेय
41.	104	539	श्री धनंजय कुमार सिंह	श्री शारदा सिंह
42.	106	540	श्री विजय कुमार कैवर्त	श्री जगदीश प्रसाद
43.	107	541	श्री भूषण लाल यादव	श्री बालकृष्ण यादव
44.	110	542	श्री विनय सागर सिदार	श्री जगदीश प्रसाद सिदार
45.	113	543	श्री पुन्यमन्तुला रमेश	श्री पुन्यमन्तुला सत्या नारायण
46.	117	544	श्री सिधेश्वर दास	श्री लखन दास
47.	118	545	श्री जय कुमार साहू	श्री हरी राम साहू
48.	125	546	श्री विरेन्द्र कुमार मेश्राम	श्री चमरू राम मेश्राम
49.	126	547	श्री राधेलाल साहू	स्व. श्री राजा राम साहू
50.	127	548	श्री बी. गोविन्दा	स्व. श्री बी. मंकन्ना
51.	128	549	श्री संतोष कुमार लोखण्डे	श्री दिनु लोखण्डे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52.	129	550	श्री शिव कुमार सिंह	श्री रायसाहब सिंह
53.	130	551	श्री गोपाल चन्द्र मघपात्रा	श्री परशुराम महापात्र
54.	131	552	श्री खेमू राम	श्री कृपा राम देवांगन
55.	132	553	श्री विनोद बाबु श्रीवास्तव	श्री हरिनारायण श्रीवास्तव
56.	136	554	श्री पुरन लाल यादव	श्री बिसाहु राम यादव
57.	137	555	श्री ईश्वरी प्रसाद कोशले	स्व. श्री हीरालाल कोशले
58.	138	556	श्री अमरदीप राय	श्री उमाशंकर राय
59.	141	557	श्री रमऊ राम साहू	श्री जगनू राम साहू
60.	142	558	श्री अशोक पासवान	श्री सरयुग पासवान
61.	144	559	श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा	श्री बाबू राम वर्मा
62.	145	560	श्री नवीन कुमार खरे	स्व. श्री बिसरू राम खरे
63.	147	561	श्री मनोज कुमार साहू	श्री विद्वान सिंह साहू
64.	150	562	श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर	श्री हरि सिंह तोमर
65.	154	563	श्री रितेश कुमार पाण्डेय	श्री अशोक कुमार पाण्डेय
66.	156	564	श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	श्री गोपाल प्रसाद पाण्डेय
67.	158	565	श्री हरिहर सिंह बैस	श्री मुरारी सिंह बैस
68.	160	566	श्री विजय पासवान	श्री लक्ष्मी पासवान
69.	162	567	श्री केशव प्रसाद साहू	श्री बनऊ राम साहू
70.	163	568	श्री भेषदास मानिकपुरी	स्व. श्री हनुमान दास मानिकपुरी
71.	164	569	श्री नोरेन्द्र सिंह चन्देल	श्री गणेश सिंह चंदेल
72.	165	570	श्री पुष्पेन्द्र साहू	श्री राधे लाल साहू
73.	166	571	श्री रविकुमार नत्थुलाल डडसेना	श्री नत्थुलाल डडसेना
74.	167	572	श्री चन्द्र कुमार देवांगन	श्री दयाराम देवांगन
75.	168	573	श्री अवधेश सिंह बैस	श्री लल्ला सिंह बैस
76.	169	574	श्री संतोष कुमार सोनी	श्री चेतन प्रसाद सोनी
77.	171	575	श्री समर सिंह कौशिक	श्री लाला राम कौशिक
78.	177	576	श्री श्रवण कुमार चन्द्राकर	स्व. श्री शत्रुघन लाल चन्द्राकर
79.	178	577	श्री चित्र कुमार खुँटे	श्री नारायण प्रसाद खुँटे
80.	185	578	श्री संजीव कुमार यादव	श्री शिवचंदर यादव
81.	186	579	श्री रामकिशन वैष्णव	श्री खेलावन दास वैष्णव
82.	188	580	श्री दाराचंद पटेल	श्री प्रेम लाल पटेल
83.	189	581	श्री संतोष	श्री शत्रुघन लाल देवदास
84.	190	582	श्री यवनेश कुमार साहू	श्री दरबारी राम साहू
85.	191	583	श्री कैलाश कुमार चन्द्रा	श्री झाडू राम चन्द्रा
86.	192	584	श्री सोहन कुमार यादव	श्री हरि राम यादव
87.	196	585	श्री ओमेश्वर मूलचंद भगत	श्री मूलचंद भगत
88.	199	586	श्री श्रवण कुमार पठारी	श्री चोवा राम पठारी
89.	200	587	श्री हरीश चंद्र बरगाह	श्री मनहरण बरगाह
90.	204	588	श्री दिनेश कुमार वर्मा	श्री नरसिंग वर्मा
91.	205	589	श्री गिरधर सिंह	स्व. जयराम ध्रुव
92.	206	590	श्री कमलेश मच्छिरके	श्री चैतराम मच्छिरके
93.	207	591	श्री अश्वनी कुमार	श्री भाकचंद
94.	211	592	श्री गौकरण सिंह	श्री मानसिंग
95.	212	593	श्री दिनेश कुमार बरगाह	श्री देवला सिंह बरगाह
96.	216	594	श्री मीना प्रसाद साहू	श्री भोजराम साहू
97.	217	595	श्री रामचरण ध्रुव	श्री रामजी ध्रुव
98.	220	596	श्री कोमल प्रसाद	श्री इतवारी राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99.	221	597	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	श्री अरूण कुमार
100.	224	598	श्री प्रांजल कुमार तिवारी	श्री राम स्नेही तिवारी
101.	225	599	श्री दिनेश कुमार वर्मा	श्री रामानुज वर्मा
102.	226	600	श्री घनश्याम साहू	श्री अवध राम साहू
103.	229	601	श्री एस ईश्वर राव	श्री एस अप्पा राव
104.	230	602	श्री नरेश कुमार वर्मा	श्री भैया राम वर्मा
105.	231	603	श्री ललित कुमार वर्मा	श्री इन्दल सिंह वर्मा
106.	237	604	श्री शंकर लाल पटेल	श्री रामानंद पटेल
107.	238	605	श्री टुकेश कुमार साहू	श्री बोधन लाल साहू
108.	241	606	श्री कमल नारायण वर्मा	श्री राम सेवक वर्मा
109.	243	607	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री हेम शंकर सिंह
110.	246	608	श्री नारायण लाल वर्मा	श्री मायाराम वर्मा
111.	249	609	श्री गोपेश्वर कुमार वर्मा	श्री कार्तिक राम वर्मा
112.	251	610	श्री हेमंत कुमार गायकवाड़	श्री मानिक राव गायकवाड़
113.	254	611	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	श्री चंद्रिका सिंह
114.	256	612	श्री नरेश कुमार	श्री भोजराम
115.	259	613	श्री मो. शाहिद	मो. शफीक
116.	261	614	श्री उद्धव प्रसाद	श्री टुकुर प्रसाद
117.	263	615	श्री प्रकाश देवांगन	श्री भगवान सिंग
118.	265	616	श्री प्रकाश	श्री मनोहर लाल
119.	267	617	श्री उमाशंकर	श्री काशीनाथ राम
120.	269	618	श्री कमलेश कुमार साहू	श्री चंद्रभान साहू
121.	271	619	श्री राकेश कुमार वर्मा	श्री पोषण लाल वर्मा
122.	272	620	श्री विनोद कुमार जायसवाल	श्री महंगीलाल जायसवाल
123.	273	621	श्री मूलचंद	श्री चैतराम यादव
124.	275	622	श्री भुनेश्वर	श्री अरूण कुमार
125.	277	623	श्री अतुल कुमार साहू	श्री मनहरण लाल साहू
126.	278	624	श्री ललित कुमार वर्मा	श्री बृजलाल वर्मा
127.	279	625	श्री तखत पाल	श्री रामदयाल पाल
128.	280	626	श्री रामावतार वर्मा	श्री फागूराम वर्मा
129.	281	627	श्री पुनीत राम वर्मा	श्री गिरधारी लाल वर्मा
130.	282	628	श्री संतोष कुमार ठाकुर	श्री तातूराम ठाकुर
131.	283	629	श्री उमाशंकर वर्मा	श्री मदन लाल वर्मा
132.	284	630	श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा	श्री गंगा राम वर्मा
133.	285	631	श्री बंधु प्रसाद वर्मा	श्री ओंकार प्रसाद वर्मा
134.	286	632	श्री यशु कुमार वर्मा	श्री पुरन लाल वर्मा
135.	287	633	श्री हीरा दास बैरागी	श्री झुमुक दास बैरागी
136.	288	634	श्री लीलाधर वर्मा	श्री परदेशी राम वर्मा
137.	291	635	श्री राजकुमार साहू	श्री जोइधा राम साहू
138.	293	636	श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता	श्री तुलाराम गुप्ता

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्रमांक मुनिवा/बा.अ./A-13/रिजल्ट/2704/2016.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर (अटेंडेंट्स) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु रायपुर में दिनांक 25 मई 2016 से 26 मई 2016 व 29 मई 2016 को परीक्षा आयोजित की

गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

सरल क्र.	अनु. क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2	956	श्री राम कुमार पटेल	श्री पंचराम पटेल
2.	4	957	श्री विद्याधर निषाद	श्री अनुज राम निषाद
3.	6	958	श्री मनीष साहा	श्री मानु साहा
4.	8	959	श्री श्याम दास महंत	श्री खीर दास महंत
5.	12	960	श्री सूर्यप्रकाश कश्यप	श्री राम आंसरे कश्यप
6.	13	961	श्री शंभु राम पटेल	श्री कन्हैया लाल पटेल
7.	20	962	श्री पुरषोत्तम यादव	श्री हरिराम यादव
8.	21	963	श्री छत्रपति मालाकार	श्री भजोराम मालाकार
9.	23	964	श्री संतनदास मानिकपुरी	श्री परशु दास मानिकपुरी
10.	26	965	श्री कृष्णा कुमार श्रीवास	स्व. श्री गोपाल प्रसाद श्रीवास
11.	28	966	श्री मनीष कुमार दुबे	श्री राजेश कुमार दुबे
12.	29	967	श्री विष्णु प्रसाद साहू	श्री भोगीलाल साहू
13.	30	968	श्री जीत कमल राठौर	श्री कमल प्रसाद राठौर
14.	34	969	श्री सुनील कड़व	श्री तुकड़ दास कड़व
15.	36	970	श्री छन्नू लाल	श्री गोपाल प्रसाद
16.	37	971	श्री शौभिक धारा	श्री एच. एन. धारा
17.	39	972	श्री आफताब खान	श्री अलीमुद्दीन खान
18.	40	973	श्री श्रवण कुमार डनसेना	श्री लोचन प्रसाद डनसेना
19.	42	974	श्री शिव कुमार मिश्रा	श्री भगौती प्रसाद मिश्रा
20.	48	975	श्री मनोज कुमार यादव	श्री हेमलाल यादव
21.	49	976	श्री गोपीचंद साहू	श्री धनसाय साहू
22.	51	977	श्री धर्मेन्द्र खरे	श्री राम किशन खरे
23.	53	978	श्री पवन कुमार श्रीवास	श्री संतोष कुमार श्रीवास
24.	54	979	श्री संजय कुमार साहू	श्री शिव कुमार साहू
25.	57	980	श्री चन्द्रभान सिंह ठाकुर	श्री मनबोध सिंह ठाकुर
26.	58	981	श्री सुनील कुमार दुबे	श्री कृष्ण दत्त दुबे
27.	59	982	श्री जीवन प्रसाद चौहान	श्री राधेलाल चौहान
28.	65	983	श्री तुलेश्वर चौधरी	श्री जयलाल चौधरी
29.	66	984	श्री पप्पू राम विश्वकर्मा	श्री शिवपूजन विश्वकर्मा
30.	67	985	श्री अलंकार शर्मा	श्री सुरेश शर्मा
31.	69	986	श्री सुनील कुमार	श्री चन्द्रसेन शर्मा
32.	70	987	श्री श्यामु कैवर्त	श्री जनकराम कैवर्त
33.	71	988	श्री कुशल कुमार चौहान	श्री भगतराम चौहान
34.	73	989	श्री पंचराम रात्रे	श्री गोविन्द राम रात्रे
35.	74	990	श्री चन्द्रशेखर पटेल	श्री परसराम पटेल
36.	78	991	श्री नरेन्द्र कुमार पाव	श्री ईश्वर पाव
37.	86	992	श्री प्रितम कुमार देवांगन	श्री मनोहर लाल देवांगन
38.	92	993	श्री अशोक कुमार गुप्ता	श्री राजेन्द्र गुप्ता
39.	93	994	श्री रविन्द्र कुमार साहनी	श्री भरत साहनी
40.	95	995	श्री अतिश कुमार तिवारी	श्री सत्य प्रकाश तिवारी
41.	97	996	श्री हेमदास महंत	श्री खीरदास महंत
42.	98	997	श्री चिदानंद डनसेना	श्री बेदराम डनसेना
43.	99	998	श्री विश्वनाथ प्रजापति	श्री रामलौट प्रजापति

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	101	999	श्री योगेश कुमार	श्री गणेश राम
45.	103	1000	श्री राज कुमार साहू	श्री जमुना प्रसाद साहू
46.	105	1001	श्री शिवशंकर ध्रुव	श्री ईश्वर सिंह ध्रुव
47.	106	1002	श्री अनिरूद्ध कुमार लहरे	श्री देवप्रसाद लहरे
48.	107	1003	श्री ललित कुमार	श्री विरतन लाल
49.	108	1004	श्री दिलहरण	श्री सरजु प्रसाद
50.	109	1005	श्री कामेश्वर प्रसाद डनसेना	श्री राम लाल डनसेना
51.	111	1006	श्री विनोद कुमार मरावी	श्री भावसिंह मरावी
52.	115	1007	श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	श्री भगवान प्रसाद विश्वकर्मा
53.	117	1008	श्री नवीन बेहरा	श्री आदिनाथ बेहरा
54.	118	1009	श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल	श्री राम प्यारे पटेल
55.	120	1010	श्री शिव कुमार साहू	श्री कन्हैया लाल साहू
56.	121	1011	श्री विजय कुमार तिवारी	श्री मुरलीधर तिवारी
57.	122	1012	श्री शंकर सन साहू	स्व. श्री श्रीधर साहू
58.	126	1013	श्री शैलेन्द्र कुमार	श्री शेषनाथ सिंह
59.	127	1014	श्री लुकेश कुमार	श्री अशोक कुमार
60.	129	1015	श्री जितेन्द्र कुमार साहू	श्री रामु फूल सिंग साहू
61.	130	1016	श्री कामेश्वर सिंह चौहान	श्री अनंत राम चौहान
62.	131	1017	श्री गजानंद देशमुख	श्री बिहऊ लाल देशमुख
63.	132	1018	श्री पुष्कर सिंह नेताम	श्री भीष्म सिंह नेताम
64.	133	1019	श्री इन्दरपाल सिंग	श्री सुखराज सिंग
65.	134	1020	श्री आलोक कुमार शर्मा	श्री सुरेश शर्मा
66.	135	1021	श्री अंगद हाती	श्री लक्ष्मण हाती
67.	136	1022	श्री पीलु दास साहू	श्री थानु दास साहू
68.	138	1023	श्री किशोर कुमार साहू	श्री विष्णु राम साहू
69.	140	1024	श्री लक्ष्मी प्रसाद ध्रुव	श्री शिव कुमार
70.	141	1025	श्री राजेन्द्र कुमार बेहेरा	श्री पंचु बेहेरा
71.	143	1026	श्री अविनाश पाराशर	श्री यदुनाथ पाराशर
72.	145	1027	श्री राजेश कुमार	श्री राम कुमार
73.	146	1028	श्री किशन कुमार पासवान	श्री अशोक पासवान
74.	147	1029	श्री उबे राम साहू	श्री छबि राम साहू
75.	148	1030	श्री शिव किशोर राजपूत	श्री गनपत सिंह राजपूत
76.	150	1031	श्री कुलेश्वर सिंह	श्री नोहर सिंह
77.	159	1032	श्री राजेश कुमार	श्री सोनसाय
78.	165	1033	श्री निरज तिवारी	श्री नन्द किशोर तिवारी
79.	166	1034	श्री शिव कुमार सिंह	स्व. राम सिंह
80.	167	1035	श्री संतराम बंजारे	श्री मोहन लाल बंजारे
81.	169	1036	श्री अरूण कुमार कश्यप	श्री राम लाल कुर्मी
82.	171	1037	श्री खिलावन सिंह	श्री कमण्डल सिंह
83.	177	1038	श्री अमृत ज्ञान प्रकाश पन्ना	श्री पतरास पन्ना
84.	178	1039	श्री हाजिर अली	श्री नजर अली
85.	180	1040	श्री ताम्रध्वज सतनामी	श्री गिरिज लाल सतनामी
86.	182	1041	श्री राजेन्द्र कुमार साहू	श्री राम स्वरूप साहू
87.	184	1042	श्री चन्द्रशेखर वर्मा	श्री रोमनाथ वर्मा
88.	187	1043	श्री जी. कोण्डय्या	श्री जी चिन्नैय्या
89.	188	1044	श्री अब्दुल शाहिद खान	श्री जाहिद खान
90.	191	1045	श्री जय प्रकाश पाण्डेय	स्व. श्री मुक्तिनाथ पाण्डेय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91.	192	1046	श्री कन्हैया लाल अहिरे	स्व. श्री पदुम दास
92.	193	1047	श्री सर्वेश कुमार यादव	श्री दीपचन्द यादव
93.	194	1048	श्री सुबोध कुमार	श्री ब्रम्हदेव प्रसाद सिंह
94.	195	1049	श्री शैलेष कुमार	श्री सुखराम
95.	196	1050	श्री अनिल कुमार यादव	श्री लालजी यादव
96.	197	1051	श्री प्रशान्त सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह
97.	198	1052	श्री संजीव कुमार तिवारी	श्री क्षमाकान्त तिवारी
98.	199	1053	श्री रमेश कुमार	श्री लक्ष्मण प्रसाद
99.	200	1054	श्री अम्बरीव कुमार कहार	श्री बाबु लाला कहार
100.	205	1055	श्री ठेमस्कर नितेश मोरेश्वर	श्री मोरेश्वर
101.	206	1056	श्री थानेश्वर प्रसाद	श्री टवेन्द्र कुमार
102.	207	1057	श्री वरूण जोशी	श्री गिरीश जोशी
103.	209	1058	श्री इतवारी	श्री सुखरीत
104.	210	1059	श्री झाला राम साहू	स्व. श्री पुना राम साहू
105.	211	1060	श्री पूरन लाल निषाद	श्री पितम्बर निषाद
106.	212	1061	श्री भीखम कुमार	श्री शिशुपाल
107.	214	1062	श्री दिनेश कुमार सोनी	श्री कन्हैया लाल सोनी
108.	216	1063	श्री आलोक कुमार यादव	श्री शिव सहाय यादव
109.	218	1064	श्री अर्जुन प्रसाद सुर्यवंशी	श्री घासीराम सूर्यवंशी
110.	219	1065	श्री रमाकांत निर्मलकर	श्री कौशल प्रसाद निर्मलकर
111.	220	1066	श्री सुखदेव प्रसाद साहू	स्व. श्री चिनी लाल साहू
112.	221	1067	श्री विनोद कुमार सिंह क्षत्री	श्री सुकपाल सिंह क्षत्री
113.	222	1068	श्री प्रकाश दास	श्री हुकुम दास
114.	56	1069	श्री संजय कुमार शर्मा	श्री एस. बी. शर्मा
115.	102	1070	श्री विजे कुमार नेताम	श्री बेदराम नेताम
116.	224	1071	श्री पिताम्बर पटेल	श्री बेद व्यास पटेल
117.	225	1072	श्री अभिजीत सिंह	श्री विक्रम सिंह
118.	226	1073	श्री मुकेश सिंह	श्री सुरज सिंह
119.	227	1074	श्री मुकेश वर्मा	श्री सुवधार लाल
120.	228	1075	श्री प्रताप कुमार बरेठ	श्री गोकुल प्रसाद बरेठ
121.	229	1076	श्री अर्जुन कुमार यादव	श्री परदेशी लाल यादव
122.	231	1077	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	श्री केशव राम वर्मा
123.	233	1078	श्री पिताम्बर दास	श्री हुमन लाल
124.	235	1079	श्री राधे श्याम साहू	श्री संतराम साहू
125.	237	1080	श्री दिनेश कुमार देवांगन	श्री लाखन लाल देवांगन
126.	239	1081	श्री वृजेश कुमार शाह	स्व. श्री रामदेव शाह
127.	244	1082	श्री ओम प्रकाश चौहान	श्री कृष्ण राम
128.	248	1083	श्री माधव साहू	श्री गोपाल राम साहू
129.	252	1084	श्री ओम प्रकाश	श्री दयाराम
130.	253	1085	श्री आशीष कुमार	श्री सुनील कुमार चतुर्वेदी
131.	254	1086	श्री योगेन्द्र कुमार	श्री गॉधीराम
132.	255	1087	श्री लकेश्वर कत्थाकार	श्री छन्नु लाल कत्थाकार
133.	264	1088	श्री वेदप्रकाश	श्री दीक्षित राम
134.	270	1089	श्री भूपत दास साहू	श्री टेमन लाल साहू
135.	271	1090	श्री निरेन्द्र कुमार केंवट	श्री फिरीत राम केंवट
136.	272	1091	श्री संतोष कुमार	श्री मंगल प्रसाद
137.	273	1092	श्री टीकम साहू	श्री नरसिंह साहू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
138.	275	1093	श्री परस वर्मा	श्री रघुनंदन वर्मा
139.	276	1094	श्री संतोष कुमार वर्मा	श्री छेदी लाल वर्मा
140.	277	1095	श्री गोविन्द चन्द्र मोहन्ता	श्री पुरूषोत्तम लाल कल्याण
141.	278	1096	श्री महेन्द्र कुमार साहू	श्री रामाधर साहू
142.	279	1097	श्री चमन लाल वर्मा	श्री सरज कुमार वर्मा
143.	281	1098	श्री भुवन लाल टंडन	श्री गोकुल राम टंडन
144.	285	1099	श्री अमित कुमार	श्री भरत लाल
145.	286	1100	श्री गौतम कुमार झा	श्री दुर्गानंद झा
146.	287	1101	श्री कोमल चंद	श्री रामकुमार
147.	288	1102	श्री संतु कुमार बरेठ	श्री दाउराम बरेठ
148.	290	1103	श्री तमेश ब्रम्हे	श्री तक्ष लाल ब्रम्हे
149.	291	1104	श्री अंतर्यामी साहू	श्री देवेन्द्र साहू
150.	292	1105	श्री महेश कुमार साहू	श्री बिसौहा राम साहू
151.	295	1106	श्री विजय कुमार	श्री पी. एम. मेश्राम
152.	296	1107	श्री संजय कुमार चौहान	श्री सुरेश चौहान
153.	299	1108	श्री रत्नेश कुमार दास	श्री राधेलाल दास
154.	27	1109	श्री भीमदास मानिकपुरी	श्री समुन्द दास मानिकपुरी
155.	3	1110	श्री फुलेश कुमार यादव	श्री सहेलिया राम यादव
156.	160	1111	श्री बसंत कुमार चन्द्राकर	श्री शत्रुहन चन्द्राकर
157.	251	1112	श्री चन्द्रेश कुमार कश्यप	श्री अभिराम कश्यप
158.	304	1113	श्री शरद कुमार शिवहरे	श्री अशोक कुमार शिवहरे
159.	305	1114	श्री तीरथ	श्री दयाराम
160.	306	1115	श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिन्हा	श्री सुरेश सिन्हा
161.	309	1116	श्री भगवंत	श्री देवसिंग
162.	310	1117	श्री चित्रसेन ध्रुव	श्री तिजू राम ध्रुव
163.	312	1118	श्री सूरज कुमार मिश्रा	श्री मनोज प्रसाद मिश्रा
164.	313	1119	श्री धीरज कुमार	श्री गोरख सिंह
165.	314	1120	श्री सुशांत कुमार नायक	श्री डम्बरू धर नायक
166.	315	1121	श्री कैलाश कुमार साहू	श्री राम लाल साहू
167.	319	1122	श्री एकलव्य कुमार वर्मा	श्री फेरू राम वर्मा
168.	320	1123	श्री डम्बरू धर दास	श्री भक्ता रंजन दास
169.	321	1124	श्री लक्ष्मण	श्री नाथूराम
170.	322	1125	श्री पुरूषोत्तम कुमार	श्री विनोद
171.	327	1126	श्री गणेश राम साहू	श्री ईश्वर प्रसाद साहू
172.	330	1127	श्री रविशंकर गायकवाड़	श्री शशि भूषण गायकवाड़
173.	331	1128	श्री दीपक कुमार रावत	श्री बूटेली रावत
174.	332	1129	श्री चंदन तिवारी	श्री वीरेन्द्र तिवारी
175.	333	1130	श्री भुवन लाल निषाद	श्री गंगू राम निषाद
176.	341	1131	श्री प्रकाश साहू	श्री नान बाबू साहू
177.	343	1132	श्री प्रशांत जौंजालकर	श्री मधुकर जौंजालकर
178.	348	1133	श्री हेम लाल वर्मा	श्री अंजनू राम वर्मा
179.	349	1134	श्री जगत राम बंजारे	श्री मंगल दास बंजारे
180.	350	1135	श्री तोरण लाल	श्री जेठू राम
181.	351	1136	श्री संदीप कुमार वर्मा	श्री श्याम लाल वर्मा
182.	353	1137	श्री भुनेश्वर साहू	श्री राम नाथ साहू
183.	354	1138	श्री उदय राम यादव	श्री कैलाश यादव
184.	355	1139	श्री मनहर लाल पाल	स्व. सेवक राम पाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
185.	356	1140	श्री उमाशंकर यादव	श्री उदय राम यादव
186.	357	1141	श्री विजय कुमार रावटे	श्री कल्याण सिंह रावटे
187.	360	1142	श्री रोहित कुमार	श्री अजय साह
188.	363	1143	श्री सतीश सराटकर	श्री मधुकर सराटकर
189.	367	1144	श्री सोनू दीक्षित	श्री सुरेन्द्र दीक्षित

फणीन्द्र कुमार भोई,
सचिव.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2016

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 98 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम रनभाठा, प.ह.नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	रनभाठा/24	71/4	0.085	72/1	0.024
			72/5	0.024		
		योग	**कुल ख. नं. 3**	**कुल रकबा 0.133 हे.**		

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2016

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 99 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम जेवरीडीह, प.ह.नं. 23, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	जेवरीडीह/23	172/8	0.032	113/7	0.032
			218/12	0.019	111/1	0.106
			113/4/2, 113/5/2, 113/6/2	0.059	106/8/3, 106/9/3	0.053
			106/13	0.085	218/6	0.020
			219/9	0.202	219/5	0.304
			106/1/4, 106/4/4	0.150	218/13	0.040
			218/15	0.056		

योग कुल ख. नं. 17 कुल रकबा 1.158 हे.

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2016

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 100 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम गुड्डू, प.ह.नं. 35, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	गुड्डू/35	141/7	0.093	302/1	0.202
			62/2	0.019	336/3	0.045
			206/3	0.040	62/1	0.032
			67	0.012	151/4	0.036
			220/1	0.093	220/3	0.020
			141/3	0.032	141/9	0.036
			219	0.040	324/1	0.081
		योग	**कुल ख. नं. 14 कुल रकबा 0.781 हे.**			

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2016

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 101 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम छोटे-भण्डार, प.ह.नं. 23, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	छोटे-भण्डार/23	192/10	0.136	292/7	0.081
			292/5	0.061	303/5	0.051
			303/6	0.231	304	0.008
			295/2	0.008	303/2	0.020
		योग	**कुल ख. नं. 8**	**कुल रकबा 0.596 हे.**		

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2016

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 102 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कठली, प.ह.नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	कठली/24	216/1	0.054	216/2	0.036

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			258/2	0.020	188	0.045
			191	0.174	168/4	0.194
			147/419	0.045	147/4	0.162
			योग	**कुल ख. नं. 8**	**कुल रकबा 0.730 हे.**	

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

पी. के. सर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 24 जून 2016

क्रमांक/534/ELU/गुरूर/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि गुरूर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत गुरूर/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 24-06-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. गुरूर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

गुरूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भरदा, तार्री, बोरतरा, कोलिहामार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कोलिहामार, बोहारडीह, दानीटोला की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम दानीटोला, कन्हारपुरी, सोनईडोंगरी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सोनईडोंगरी, खैरवाही, भरदा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल - कार्यालय नगर पंचायत, गुरूर.

No./534/ELU/Gurur/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Gurur Planning Area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 24-06-2016 During office hour in the office of Nagar Panchayat Gurur/Exhibition Venue, Office of Sub Divisional Officer (Revenue) Balod & Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Gurur Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Gurur Planning Area

NORTH : Village Bharda, Tarri, Bortara Village Kolihamar up to North Boundary.
EAST : Village Kolihamar, Bohardih Village Danitola up to East Boundary.
SOUTH : Village Danitola, Kanharpuri Village Sonaidongari up to South Boundary.
WEST : Village Sonaidongari, Khairwahi Village Bharda up to West Boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Blaod C.G. or Inspection site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G.

Inspection Site :— Office of the Nagar Pachanayat, Gurur.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 7 जुलाई 2016

क्रमांक/127/अ.भू.अ./भू.अ./2016.—छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अन्बलगन पी. कलेक्टर बिलासपुर एतद्द्वारा जिला मुख्यालय बिलासपुर के निगम क्षेत्र अन्तर्गत पुनर्गठित पटवारी हल्कों को सम्मिलित करते हुए निगम क्षेत्र में निम्न सूची के अनुसार पटवारी हल्कावार पृथक-पृथक 02 राजस्व निरीक्षक मण्डल पुनर्गठित करता हूं :—

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रचलित रा.नि.मं. का नाम	पुनर्गठित रा.नि.मं. का नाम	पुनर्गठन के पश्चात् रा.नि.मं. के अन्तर्गत पटवारी हल्कों का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	पटवारी हल्का नं. 19 से 31 एवं 36 से 41 (नगरेत्तर क्षेत्र)
			सरकण्डा	32-सरकण्डा, 32 (अ) चांटीडीह 33-कुदुदण्ड, 33 (अ) मंगला
			जूना बिलासपुर	34-जूना बिलासपुर, 34 (अ) तोरवा 35-जरहाभाठा, 35 (अ) तालापारा

उपरोक्तानुसार इस अधिसूचना से निगम क्षेत्र में प्रचलित 04 पटवारी हल्कों को विभाजित कर नवसृजित 08 पटवारी हल्कों के लिए दो नवीन रा.नि.मं. क्रमशः सरकण्डा एवं जूना बिलासपुर के रूप में अस्तित्व में आ जायेंगे. शेष नगरेत्तर क्षेत्र अपवर्जित बिलासपुर रा.नि.मं. के रूप में अस्तित्व में रहेगा.

अन्बलगन पी.,
कलेक्टर.